

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1908 / 12-14 अल्मोड़ा, दिनांक, 3-12-2019.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

विषय :- प्रस्ताव संख्या 39053/2019 टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग निर्माण हेतु
वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1683/12-1 दिनांक 29.11.2019।

महोदय,

सन्दर्भित पत्र द्वारा ऑन लाईन प्रेषित विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रेषित आपत्तियों का उत्तर मूल में ऑन लाईन प्रत्यावर्तित कर लिखा जाता है—
1- आपके द्वारा विषयगत मोटर मार्ग के आपत्ति के उत्तर में 593 वृक्ष प्रभावित होने की सूचना दी गयी है, जबकि पार्ट 2 में 701 वृक्ष प्रभावित होने की सूचना अपलोड की गयी है। अन्तर का कारण स्पष्ट करें तथा सही स्थिति अवगत करायें।
2- प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रभावित वन भूमि का घनत्व 0.04 सूचित किया गया है। घनत्व के आधार पर एन0पी0बी0 की दरें गलत लगाई गयी हैं, अतः एन0पी0बी0 की सही दरों के आधार पर भूमि का मूल्य अंकित किया जाय।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड,
अल्मोड़ा।